87

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 693-एक/2006 विरूद्व आदेश दिनांक 5-1-06 - पारित व्दारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना - प्रकरण कमांक 28/2002-03 निगरानी

1- छत्तर सिंह पुत्र गोकुल सिंह
2- अनारसिंह पुत्र मलखानसिंह
3- ब्रहमजीत(मृतक) सिंह पुत्र मलखान सिंह

वारिस

अ- मेघसिंह ब- रामबहादुर सिंह पुत्रगण
स्व.ब्रहमजीत सभी निवासी ग्राम कुथियाना
तहसील अम्वाह जिला मुरैना मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्व

1- रामनिवास मृतक वारिस
अ- उमाचारण ब- श्यामसुन्दर
स- रामदत्त द- राजेश पुत्रगण स्व. रामनिवास
निवासी ग्राम कुथियाना तहसील अम्वाह जिला मुरैना ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस.के.शर्मा)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री एस.के.अवस्थी)

आ दे श

(आज दिनांक 3 -11 - 2016 को पारित)

अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 28/2002-03 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30-1-2006 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि स्व. रामनिवास ने अपने जीवनकाल में तहसीलदार अम्वाह के समक्ष आवेदन देकर मांग की कि ग्राम कुथियाना स्थित भूमि सर्वे कमांक 1452 रकबा 1 वीघा 18 विसवा में से 18 विसवा (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) पर उसका मकान व गौत बना हुआ है इसलिये इस 18 विसवा रकबे को उसके नाम व्यवस्थापित किया जावे। तहसीलदार अम्वाह ने प्रकरण कमांक 9/1993-94 अ-19 पंजीबद्ध किया तथा जांच एंव सुनवाई कर आदेश दिनांक 16-3-94 पारित करके वादग्रस्त भूमि उसके नाम व्यवस्थापित कर दी। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी अम्वाह के समक्ष अपील प्रस्तुत होने पर प्रकरण कमांक 79/19993-94 अपील में पारित आदेश दिनांक 24-9-94से अपील अस्वीकार की गई, किन्तु रामनिवास के हित में 18 विसवा के बजाय 10 विसवा भूमि का व्यवस्थापन मान्य किया गया। इस आदेश के विरूद्व आवेदक एंव अनावेदक व्दारा अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष प्रथक प्रथक निगरानी कमांक 164/1993-94 तथा 168/1993-94 प्रस्तुत की गई, जिनमें संयुक्त रूप से पारित आदेश दिनांक 30-3-1995 से निगरानी ॲशतः स्वीकार कर स्वमेव निगरानी पर विचार हेतु कलेक्टर मुरैना को निर्देश दिये गये। इस आदेश के विरूद्व राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर में निगरानी कमांक 4-2/आर/635/95 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 16-10-98 से निगरानी स्वीकार कर अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना को निर्देश दिये गये कि वह निगरानी प्रकरणों का निराकरण गुणदोष के आधार पर करें।

अपर आयुक्त न्यायालय में प्रकरण वापिस आने पर प्रकरण कमांक 28/2002-03 निगरानी एंव प्रकरण कमांक 41/2005-06 निगरानी पर पुर्नपंजीयत किये गये तथा पक्षकारों की सुनवाई करते हुये आदेश दिनांक 30-1-2006 पारित किया गया तथा अनुविभागीय अधिकारी अम्वाह के आदेश दिनांक 24-8-1994 को निरस्त करते हुये तहसीलदार अम्वाह के प्रकरण कमांक 9/1993-94 अ-19 में पारित आदेश दिनांक 16-3-94 को स्थिर रखा गया एंव रामनिवास व्दारा प्रस्तुत निगरानी कमांक 41/2005-06 स्वीकार की गई तथा छतर सिंह आदि व्दारा प्रस्तुत प्रकरण कमांक 28/2002-03 निग.

अस्वीकार की गई। अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के इसी आदेश से दुखी होकर आवेदकगण व्दारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने गये तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने , अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख में आये तथ्यों का अध्ययन करने तथा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा पारित आदेश दिनांक 30-1-2006 के तथ्यों पर विचार करने पर स्थिति यह है कि अपर आयुक्त ने आवेदकगण व्दारा प्रस्तुत निगरानी कमांक 28/2002-03 को इस आधार पर अस्वीकार किया है कि यह पक्षकार तहसील न्यायालय में आवन्टन के समय पक्षकार नहीं रहे हैं एंव उनका वादग्रस्त भूमि के आवन्टन हेतु कोई आवेदन भी लम्बित नहीं है। अपर आयुक्त के इस निष्कर्ष पर विचार करने पर पाया गया कि यह सही है कि आवेदकगण तहसील न्यायालय में पक्षकार नहीं रहे हैं और वह दोंनों अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष स्वयं् को वादग्रस्त भूमि से जुड़े होने का अथवा तहसील न्यायालय में पक्षकार रहने का प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके हैं जिसके कारण उक्त सम्बन्ध में अपर आयुक्त व्दारा आदेश दिनांक 30-1-06 में निकाला गया निष्कर्ष उचित प्रतीत होता है कि जब अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष यह तथ्य स्पष्ट हो चुका था कि आवेदकगण तहसीलदार न्यायालय में हितबद्व पक्षकार नहीं रहे है तब उन्हें अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की पात्रता नहीं है इसके वाद भी अनुविभागीय अधिकारी व्दारा अपील को गुणदोष के आधार पर सुनकर आदेश पारित करना उचित नहीं माना जा सकता। ।

5/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया है कि तहसील न्यायालय व्दारा भूमि व्यवस्थापन के पूर्व इस्तहार का उचित ढंग से प्रकाशन नहीं किया है भूमि ग्रामीणों के आमरास्ते की रही है जिसका व्यवस्थापन नहीं किया जा सकता है। अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 30-1-2006 के पद 5 में की गई विवेचना के अवलोकन पर स्थिति स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय मे हलका पटवारी के कथन हुये है जिसने बताया है कि वादग्रस्त भूमि पर रामनिवास का वर्ष 1970 से रहवासी मकान व गौत बना हुआ है । इन्हीं तथ्यों पर विचार

करके अनावेदक के हित में हुये भूमि व्यवस्थापन आदेश में अपर आयुक्त व्दारा दखल न किये जाने का निष्कर्ष निकाला है जिसके कारण आज 46 वर्ष के अंतराल में अनावेदक के रहवासी मकान एंव गौत के वेपराव में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 28/2002-03 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30-1-2003 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर